UPGK010020992026

न्यायालय : सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।

नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र संख्या- 923/2026,

रामजनक, पुत्र- चौथी, उम्र- 59 वर्ष, निवासी- कुराव, थाना- बड़हलगंज, जनपद- गोरखपुर।

.....**आवेदक/अभियुक्त,**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य .....**प्रतिपक्षी,**

अपराध संख्या- 64/2026,
धारा- 310 (4) भारतीय न्याय संहिता,
थाना- चौरीचौरा, जनपद- गोरखपुर।

10.03.2026

आदेश

1. नियमित जमानत का यह प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आवेदक/अभियुक्त रामजनक जो अपराध संख्या- 64/2026, धारा- 310(4) भारतीय न्याय संहिता, थाना- चौरीचौरा, जनपद- गोरखपुर के अन्तर्गत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध है, के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

2. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 20.02.2026 को प्रथम सूचनाकर्ता उपनिरीक्षक सौरभ कुमार झां मय हमराह अन्य पुलिस कर्मचारीगण के साथ मुखबिर के बताये स्थान के लिये प्रस्थान किया अभी हम लोग मन्दिर के पास पहुंचे ही थे कि महिलाओ की भीड़ में खड़ी धक्का मुक्की कर रही कुछ महिलाओ की तरफ इशारा करके मुखवीर हट बढ़ गया कि हम पुलिस वाले सिखलाये गये तरीके से एकबारगी दविश कर चारो तरफ से घेरघार कर महिलाओ को पकड़ लिया गया। जामा तलाशी से गुड्डी के पास से एक अदद नेलकटर, एक अदद प्लास्टिक की छिपकली तथा मन्जू देवी की जामा तलाशी से एक अदद प्लास्टिक का साँप व एक अदद नेलकटर, शाहिबा की जामा तलाशी से एक अदद प्लास्टिक की छिपकली व एक अदद नेलकटर, पूनम की जामा तलाशी से एक अदद नेलकटर व एक अदद प्लास्टिक का साँप, सुनीता की जामा तलाशी से एक अदद प्लास्टिक की छिपकली व एक अदद नेलकटर व रोशनी की जामा तलाशी से एक अदद नेलकटर व एक अदद प्लास्टिक का साँप व अमृता की जामा तलाशी से एक अदद नेलकटर तथा एक अदद झांग भटकुईया प्रीती की जामा तलाशी से एक अदद झांग भटकुईयां, एक अदद नेलकटर, एक अदद प्लास्टिक का साँप बरामद हुआ जिन्हे हिरासत पुलिस मे समय करीब 20.10 बजे लेकर कड़ाई से पूछताछ किया गया तो बता रही है कि हम लोग एक दुसरे के रिश्ते में आते है सभी लोग अपनी योजना के अनुसार अलग अलग चार पहिया गाड़ियो से एक साथ मेला व भीड़ भाड़ स्थानो पर जाते है जहां भीड़ भाड़ वाले स्थानो पर महिलाओ को प्लास्टिक की छिपकली व साँप से डराकर उनका ध्यान भटका कर गले की चैन आदि नेलकटर की सहायता से काट लेते है और साथ आये व्यक्तियो के पास चार पहिया वाहन मे जाकर रख देते है। हम लोग जिस चार पहिया वाहन से आये है वह

चुंगी के पास पार्किंग में खड़ी है जिसमे हम लोगो के साथ आने 08 अन्य पुरुष भी बैठे है वह लोग भी जैसे ही मौका पाते एकान्त में महिलाओ व पुरुषो को रोक कर उन्हें डरा धमका कर सोने चांदी के जेवरात लूट लेते है तत्पश्चात हिरासत में ली गई महिलाओ को म0उ0नि0 व म०का० द्वारा हम पुलिस बल के साथ पार्किंग में खड़ी गाड़ियो के पास ले जाकर इशारा करते हुये बताया कि काले व सफेद रंग दो चार पहिया स्कार्पियो तथा सफेद रंग की दो बोलेरो व सफेद रंग की क्रेटा कार मे लोग बैठे लोग हम लोगो के सहयोगी है। गाडियो के नजदीक जाकर हम पुलिस बल द्वारा सिखलाये हुये तरीके से एक बारगी दविश देकर चार पहिया वाहनो को घेर लिया गया। सफेद रंग की चार पहिया वाहन स्कार्पियो एन UP53FE4141 में बैठे दो व्यक्तियो से नाम पता पुछा गया तो ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम आदित्य राना व दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम विजय तथा सफेद रंग की बोलेरो UP32 PT 8368 में बैठे 02 व्यक्ति - से नाम पता पुछा गया तो ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम नन्दु साहनी तथा दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम रामजनक तथा सफेद रंग की क्रेटा कार UP53DN3410 की ड्राइवर सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अजय खरवार, स्कार्पियो एन UP 52 CF 6054 में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम पिन्टु कुमार तथा बोलेरो सफेद रंग नं0 UP 52BX4567 के चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम अभिषेक व आगे बैठे दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम रामाशंकर बताया। गाड़ी से सभी लोगो को बारी बारी से बाहर निकालकर जामा तलाशी ली गयी तो अभिषेक पुत्र रामाशंकर के पहले पैन्ट जीन्स की बाये जेब से 500 रुपये के चार नोट व 10 रुपये की एक नोट कुल 2010 रुपया व रामाशंकर की कुर्ता के सामने की जेब से 500 रुपये के 20 नोट कुल 10000 रुपये व नन्दु की पैन्ट जीन्स की पीछे वाली पोकेट से पाँच नोट व 200 रुपये की एक नोट कुल 2700 रुपये व रामजनक की ट्राउजर की दायिने जेब से 500 रुपये के आठ नोट तथा 10 रुपये की एक नोट कुल 4010 रुपया व आदित्य राना की पैन्ट जीन्स के बाये जेब से 500 रुपये की नौ नोट व 10 रुपये की एक नोट कुल 4510 रुपया व दायिने जेब से मोबाइल रियल मी बारग बैगनी, अजय खरवार की पैन्ट जीन्स की बाये जेब से 500 रुपये की सात नोट व 10 रुपये की एक नोट कुल 3510 रुपये व दाहिने जेब से एक अदद मोबाइल फोन तथा पिन्टु कुमार की पैन्ट की दायिने जेब से 500 रुपये की 27 नोट व 200 रुपये की एक नोट कुल 13700 रुपया तथा पैन्ट की वाये जेब से अदद मोबाइल सैमसंग बारंग सिल्वर गैलेक्सी, विजय की पैन्ट की दायिने जेब से 500 रुपये की 11 नोट कुल 5500 रुपया मोबाइल इनफिनिक्स नोट बरामद हुआ।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक/अभियुक्त गरीब व्यक्ति है तथा बिल्कुल निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई जुर्म नहीं किया गया है उसे गलत ढंग से मामले में अभियुक्त बना दिया गया है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 20.02.2026 को अपने रिश्तेदार के बुलाने पर उनके आयोजित कार्यक्रम पारिवारिक परम्परागत मान्यता के अनुसार मन्नत पूर्ण होने पर दर्शन हेतु तरकुलहा देवी मन्दिर गये थे वहां स्थानीय दुकानदारों के बीच कहा-सुनी/वाद-विवाद हो रहा था किसी ने पुलिस को फोन कर दिया, पुलिस आयी और बिना पूछे पकड़कर थाने ले जाकर चालान कर दी। आवेदक/अभियुक्त न तो कोई लूट किया न ही लूट में संयुक्त होकर किसी का मदद किया और न ही उसके पास से लूट/डकैती से सम्बन्धित कोई सामान बरामद हुआ है। आवेदक/अभियुक्त का कोई टोली नहीं है न ही वह किसी टोली का सदस्य ही है। आवेदक/अभियुक्त के जामा तलाशी से बरामद पैसा व मोबाइल उसी का है। आवेदक/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्त दिनांक 21.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। प्रस्तुत मामले में सह-अभियुक्त की जमान माननीय न्यायालय से हो गई

है। इन समस्त आधारों पर उन्होंने आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने का निवेदन किया है।

4. अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का प्रबल विरोध एवम् खण्डन करते हुए जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

5. मैंने जमानत प्रार्थना-पत्र पर आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना एवम् समस्त अभियोजन प्रपत्रों का परिशीलन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में कथित बरामदगी का कोई स्वतन्त्र साक्षी होना अभियोजन द्वारा अभिकथित नहीं है। आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 21.02.2026 से जेल में निरूद्ध है। प्रकरण के तथ्य, परिस्थितियों व अपराध की प्रकृति आदि को दृष्टिगत रखते हुए, गुणावगुण पर कोई निश्चयात्मक मत व्यक्त किए बिना, आवेदक/अभियुक्त को सशर्त जमानत पर रिहा किये जाने का पर्याप्त आधार है।

7. आवेदक/अभियुक्त रामजनक का उपरोक्त जमानत प्रार्थना-पत्र सशर्त स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त को प्रकरण में सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अधीन 50,000/-रूपये का स्वबन्धपत्र, उसी धनराशि के दो प्रतिभू एवम् निम्न आशय की बचनबद्धता प्रस्तुत करने पर दौरान विचारण जमानत पर रिहा किया जाए :-

1- आवेदक/अभियुक्त निष्पादित बन्धपत्र में वर्णित शर्तो के अनुसार विवेचना/न्यायालय की कार्यवाही में प्रतिभाग करेगा,

2- आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा,

3- आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई प्रत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके,

4- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान साक्षी के परीक्षण हेतु उपस्थित होने की दशा में कोई स्थगन प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा,

5- आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय की वॉछा पर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा।

8. किसी भी शर्त का उल्लघंन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए विचारण न्यायालय स्वतन्त्र होगी।

9. इस आदेश की एक प्रति सम्बन्धित न्यायालय को प्रेषित की जाए।

10. इस आदेश की एक सॉफ्ट कॉपी आज ही ई-मेल द्वारा सम्बन्धित जेल अधीक्षक के माध्यम से आवेदक/अभियुक्त को प्रेषित की जाए।

दिनांक/गोरखपुर
10 मार्च, 2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
J.O Code- UP1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.03.10 16:37:17 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court